(18)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल अध्यक्ष महोदय सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.
R. 5114-पी/15

[टिकट उपलब्ध नहीं है] मिलने पर
— चस्पा किया जावेगा।

श्री राजेश पटेल एड. द्वारा
पेश किया गया 20-10-15

468
20-10-15

1. रामसिया पटेल पिता स्व0 सरमन पटेल उम्र 65 वर्ष,

2. भैयालाल पटेल पिता स्व0 सरमनपटेल उम्र 60 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम टीकर परिहारन टोल। तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र. -निगरानीकर्तागण

बनाम

1. तिलकधारी पटेल पिता श्री सरमन पटेल उम्र 70 वर्ष, वगैरह

---गैरनिगरानी कर्ता गण

आवेदन पत्र निगरानी विरुद्ध नायब तहसीलदार महोदय, सर्किल गोविन्दगढ, तहसील हुजूर जिला रीवा के राजस्व प्र0 क्र0 44अ/27/14-15 आर्डर सीट आदेश दिनांक 4.9.15,

---

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. सं. 1959ई

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि आ0 नं0 362, रकवा 0.23ए0, आ0 नं0 367 रकवा 0.13.85ए0 आ0 नं0 369 रकवा 9.45ए0 आ0 नं0 503 रकवा 9.89 ए0, किता 4 कुल रकवा 31.230 मौजा टीकर ज.नं. 227 वृत्त गोविन्दगढ, तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र. मे स्थित है।

2. यह कि उक्त आराजियात का संपूर्ण रकवा 31.23ए0 सिन्दुरिया नामक बांधा से जाना जाता है, उक्त सिन्दुरिया नामक बांधा पूर्व मे मोरध्वज सिंह का था 50-52 वर्ष पूर्व स्व0 काशी सिंह स्व0 सरमन पटेल, स्व0 रामगरीब पटेल,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5114–दो/15 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेश पटेल उपस्थित होकर यह निगरानी नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 44/अ–27/2014–15 में अंतिरिम आदेश दिनांक 4.9.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि संपूर्ण रकवा 31.23 एकड़ सिन्दूरिया नामक बांध से जाना जाता है उएक्त सिन्दूरिया नामक बांध पूर्व में मोरध्वज सिंह का था । 50–52 वर्ष पूर्व स्व0 काशी सिंह, स्व0 सरमन पटेल ,स्व0 रामगरीब पटेल ,प्रद्युम पटेल, कल्लू पटेल, बृन्दावन पटेल, शंकर पटेल, रामदुलारे पटेल, लल्लू प्रसाद पटेल, सभी निवासी ग्राम टीकर सभी सहखतेदारों ने मिल कर उक्त आरजियात सिन्दूरिया नामक बांध की कय किये थे स्व0 सरमन पटेल उक्त सहखते की आराजियों की अपने हिस्से की भूमि कुल आराजी 31.32 एकड़ में अपनेहिस्से के 1/5 भाग को बडे पुत्र वालिग 18 वर्ष होने के कारण उनके नाम रजिस्ट्री करवा दिये थे क्यों कि रजिस्ट्री के समय आवेदक नावालिग थे।	

आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश पत्रिका दिनांक 4.9.15 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि म0प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत खाते में कोई भी व्यक्ति अपने अंश भाग का जिनका नाम खाते में अंकित है बटवारा कराने हेतु आवेदन दे सकता है लेकिन आपत्तिकर्ता रामसिया, भैयालाल का नाम खसरा नम्बर 362/1, 367/1 369/1 503/1 में अंकित नहीं है। आपत्ति निराधार होने से निरस्त करने में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 44/अ—27/2014—15 में अंतिरिम आदेश दिनांक 4.9.15 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य